संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक : 2/अवि./सेल-टी.पी./2013/100-B   भोपाल, दिनांक :..18./02/2013

:: आदेश ::

संचालनालय के आदेश कमांक 2/अवि./सेल-टी.पी./एफ-चतुर्थ/2012/975-जी, दिनांक 13 जुलाई 2012 द्वारा श्री आनंद कुमार सोनी, सहायक ग्रेड-3, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, होशंगाबाद का स्थानान्तरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हरदा के अधीन प्रशासकीय आधार पर किया गया ।

उक्त स्थानान्तरण आदेश के संबंध में श्री सोनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर मे याचिका कमांक डब्ल्यू.पी.11366/2012 दायर की गई । जिसमें मान. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.08.2012 के द्वारा प्रकरण में दो माह में विधि सम्मत निर्णय लेकर संबंधित के अभ्यावेदन को निराकृत करने के निर्देश दिये गये । श्री सोनी द्वारा उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 12.12.2012 को श्री सोनी, सहा.ग्रेड-3 को अधोहस्ताक्षकर्ता द्वारा समक्ष में सुना गया । श्री सोनी द्वारा अपना पक्ष रखते हुये निवेदन किया गया कि किसी अन्य जूनियर कर्मचारी को समायोजित करने के लिये मुझे हरदा स्थानान्तरित किया गया है जो न्यायपूर्ण नहीं है। वे ही अपने परिवार का एक मात्र सहारा हैं एवं उनकी वृद्ध माता तथा दो छोट-छोटे बच्चों को लेकर कहां जाएं, स्थानान्तर होने से वे बहुत मानसिक पीड़ा में है।

श्री सोनी के अभ्यावेदन एवं समक्ष में की गई सुनवाई के अनुकम में विचारोपरान्त श्री आनंद कुमार सोनी, सहायक ग्रेड-3 का कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, होशंगाबाद से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हरदा किया गया स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।

15/2/13

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरंतर .... 2.

पृ.क्रमांक : 2/अवि./सेल–टी.पी./2013/101-B भोपाल, दिनांक :..18../02/2013

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल मध्यप्रदेश ।
3. अपर संचालक, एम.आई.एस, स्थानीय कार्यालय।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, होशंगाबाद/हरदा मध्यप्रदेश ।
5. कोषालय अधिकारी, होशंगाबाद/हरदा मध्यप्रदेश ।
6. उपसंचालक, लीगल शाखा, स्थानीय कार्यालय ।
7. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
8. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ ।
9. आदेश नस्ती।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

MIS

D:\dr\BRJ Letter1.docx

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल–1/एफ–63/2013/ 1243 भोपाल दिनांक29.5.13

//आदेश //

श्री टी.एस.मिश्रा,स्टीवर्ड जय प्रकाश चिकित्सालय भोपाल को संचालनालय के आदेश क्रमांक 4/शिका./सेल.1/2013/906/दिनांक 01.05.2013 द्वारा निलंबन से बहाल करते हुये उनकी नवीन पदस्थापना जिला चिकित्सालय, सीहोर में की गई थी।

अतः उक्त आदेश **में आंशिक संशोधन करते** हुये श्री टी.एस.मिश्रा,स्टीवर्ड को प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से जिला चिकित्सालय, सीहोर के स्थान पर क्षय चिकित्सालय, भोपाल एवं श्री मदन सिंह परमार स्टीवर्ड , क्षय चिकित्सालय, भोपाल को आगामी आदेश तक जय प्रकाश चिकित्सालय, भोपाल में पदस्थ किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।

29/5/13

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

28.5.13

पृ.क्रमांक/4/शिका./सेल–1/एफ–63/2013/ 1244 भोपाल दिनांक 29.5.13

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल ।
02. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय ।
03. संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,स्थानीय कार्यालय ।
04. कलेक्टर,जिला भोपाल/सीहोर,मध्यप्रदेश ।
05. उप संचालक, अविज्ञप्त शाखा,स्थानीय कार्यालय ।
06. संभागीय संयुक्त संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,भोपाल संभाग,भोपाल,मध्यप्रदेश ।
07. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल/सीहोर,मध्यप्रदेश ।
08. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जय प्रकाश चिकित्सालय भोपाल / सीहोर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि श्री मिश्रा को तत्काल नवीन पदस्थापना स्थल हेतु कार्यमुक्त करें
09. अधीक्षक,क्षय चिकित्सालय,भोपाल की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि श्री परमार को तत्काल नवीन पदस्थापना स्थल हेतु कार्यमुक्त करें ।
10. श्री टी0एस0मिश्रा,स्टीवर्ड जयप्रकाश चिकित्सालय भोपाल/सीहोर, मध्यप्रदेश द्वाराः–सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला सीहोर,मध्यप्रदेश ।
11. श्री मदन सिंह परमार, स्टीवर्ड क्षय चिकित्सालय, भोपाल ।
12. आदेश नस्ति ।

अपर संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

28.5.13

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 2 / अवि. / सेल–टी.पी. / 2013 / भोपाल, दिनांक / 06 / 2013

आदेश

संचालनालय के आदेश कमांक क्रमांक / 2 / अवि. / सेल–टी.पी. / 2012 / 976–जी दिनांक 13.07.2012 द्वारा श्री श्याम सुन्दर शर्मा कैशियर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुरैना, जिला–मुरैना, का प्रशासकीय आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला विदिशा के अधीन किया गया स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता हैं ।

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / 2 / अवि. / सेल–टी.पी. / 2013 / 505 - F भोपाल, दिनांक 19 / 06 / 2013

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य / स्वास्थ्य राज्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्यप्रदेश ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर / भोपाल ।
3. अपर संचालक, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय ।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुरैना / विदिशा ।
5. कोषालय अधिकारी, मुरैना / विदिशा ।
6. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य / संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें ।
7. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ ।
8. आदेश नस्ती ।

18/6/13

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2013/ भोपाल,दिनांक

:: आदेश ::

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से श्री आर.जी.प्रजापति, सहायक ग्रेड-2, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़ के अधीन प्रशासकीय व्यय पर तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक स्थानान्तरित कर पदस्थ किया जाता है ।

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2013/ 480-F भोपाल, दिनांक 03-06-2013

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल मध्यप्रदेश।
3. संयुक्त संचालक, एम.आई.एस, स्थानीय कार्यालय।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बैतूल/राजगढ़ मध्यप्रदेश।
5. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, बैतूल/राजगढ़ मध्यप्रदेश।
6. कोषालय अधिकारी, बैतूल/राजगढ़ मध्यप्रदेश।
7. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
8. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती ।

01/6/13

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2013/ भोपाल,दिनांक

// आदेश //

श्रीमति राजकुमारी रावत (मीना), रेडियोग्राफर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छैगांवमाखन जिला खण्डवा का स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से स्वंय के व्यय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना के अधीन रिक्त रेडियोग्राफर के पद पर किया जाता है ।

''स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित''

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2013/623-G भोपाल,दिनांक 12/07/2013
प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर/इन्दौर मध्यप्रदेश।
3. संयुक्त संचालक, एम.आई.एस, स्थानीय कार्यालय ।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गुना/खण्डवा मध्यप्रदेश।
5. सिविल सर्जन कार्यालय गुना/खण्डवा मध्यप्रदेश ।
6. कोषालय अधिकारी, गुना/खण्डवा मध्यप्रदेश ।
7. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
8. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ ।
9. आदेश नस्ती ।

12/7/13

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल–टी.पी./2013/ भोपाल,दिनांक

// आदेश //

श्री नरेन्द्र कुमार वास्त्री, नेत्र सहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र म्याना जिला गुना का स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से स्वंय के व्यय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुम्भराज जिला गुना के अधीन रिक्त नेत्र सहायक के पद पर किया जाता है ।

''स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित''

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल–टी.पी./2013/625-G भोपाल,दिनांक 12/07/2013

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर मध्यप्रदेश।
3. संयुक्त संचालक, एम.आई.एस, स्थानीय कार्यालय ।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गुना मध्यप्रदेश।
5. सिविल सर्जन कार्यालय गुना मध्यप्रदेश
6. कोषालय अधिकारी, गुना मध्यप्रदेश ।
7. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।
8. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ ।
9. आदेश नस्ती ।

12/VII/13

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल–टी.पी./2013/ भोपाल,दिनांक

// आदेश //

श्री गिरजा शंकर योगी, एम.पी.डब्ल्यू., सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खरैह बदरवास जिला शिवपुरी का स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से स्वंय के व्यय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गुना के अधीन रिक्त एम.पी.एस. के पद पर किया जाता है ।

''स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित''

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल–टी.पी./2013/627-G भोपाल,दिनांक 12/07/2013

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर मध्यप्रदेश।
3. संयुक्त संचालक, एम.आई.एस, स्थानीय कार्यालय ।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गुना/शिवपुरी मध्यप्रदेश।
5. सिविल सर्जन कार्यालय गुना/शिवपुरी मध्यप्रदेश ।
6. कोषालय अधिकारी, गुना/शिवपुरी मध्यप्रदेश ।
7. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
8. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ ।
9. आदेश नस्ती ।

12/VII/13

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2013/ भोपाल,दिनांक

// आदेश //

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से श्री अनिल वासनिक, सफाई कर्मी(वार्डबाय), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खड़ेहा जिला छतरपुर को मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड के अधीन तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कर अन्य आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है ।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2013/572-G भोपाल,दिनांक 03/07/2013
प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर/ग्वालियर मध्यप्रदेश।
3. संयुक्त संचालक, एम.आई.एस, स्थानीय कार्यालय ।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भिण्ड/छतरपुर मध्यप्रदेश।
5. सिविल सर्जन कार्यालय भिण्ड/छतरपुर मध्यप्रदेश।
6. कोषालय अधिकारी, भिण्ड/छतरपुर मध्यप्रदेश ।
7. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
8. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ ।
9. आदेश नस्ती ।

03/VII/13

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2.अवि./सेल-टी.पी./2013/ भोपाल,दिनांक

// आदेश //

श्रीमति पुष्पा सोमकुंवर, लेखापाल जिला चिकित्सालय होशंगाबाद के विरूद्ध विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में अपराध कमांक 58/13,धारा-7, 13(1) डी, 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 के अंतर्गत दिनांक 19. 03.2013 को पंजीबद्ध किया जाकर विवेचजा में लिया गया है ।

म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक एफ 11-19/2011/1-10 दिनांक 23.02.2012 में दिये गये निर्देशानुसार श्रीमति पुष्पा सोमकुंवर, लेखापाल जिला चिकित्सालय होशंगाबाद को प्रशासकीय आधार पर तत्काल प्रभाव से जिला चिकित्सालय होशंगाबाद से जिला चिकित्सालय हेरदा स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है ।

''स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित''

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2013/ 696-H भोपाल,दिनांक 13/08/2013

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल मध्यप्रदेश।
3. संयुक्त संचालक, एम.आई.एस, स्थानीय कार्यालय ।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, होशंगाबाद/हरदा मध्यप्रदेश।
5. सिविल सर्जन कार्यालय होशंगाबाद/हरदा मध्यप्रदेश ।
6. कोषालय अधिकारी, होशंगाबाद/हरदा मध्यप्रदेश ।
7. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
8. उप संचालक, शिकायत शाखा स्थानीय कार्यालय।
9. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ ।
10. आदेश नस्ती ।

12/8/13

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल–टी.पी./2013/ भोपाल,दिनांक अगस्त 2013

// आदेश //

श्रीमति गीता सिंह, सहायक ग्रेड –3–, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शहडोल का स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से स्वंय के व्यय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीधी के अधीन रिक्त सहायक ग्रेड –3– के पद पर किया जाता है ।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल–टी.पी./2013/674-H भोपाल,दिनांक 02 अगस्त 2013

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग रीवा मध्यप्रदेश।
3. संयुक्त संचालक, एम.आई.एस, स्थानीय कार्यालय ।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीधी / शहडोल मध्यप्रदेश।
5. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय सीधी/ शहडोल।
6. कोषालय अधिकारी, सीधी / शहडोल मध्यप्रदेश ।
7. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
8. संबंधित कर्मचारी श्रीमती गीता सिंह सहायक ग्रेड –3– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शहडोल की ओर तत्काल पालनार्थ ।
9. आदेश नस्ती ।

02/VIII/13

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

क्रमांक / 2 / अवि. / सेल–टी.पी. / 2013 / भोपाल दिनांक

आदेश

श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, लेब टेक्नीशियन, जिला ग्वालियर संचालनालय आदेश क्र. 2/अवि. / सेल–टी.पी. / एफ–1 / 2011 / 448 एफ दिनांक 07.06.2011 द्वारा प्रशासकीय आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी के अधीन किया गया था।

संचालनालय आदेश के परिपालन में श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, लेब टेक्नीशियन, को कार्यालयीन आदेश दिनांक 22.06.2011 द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया था। किन्तु श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, लेब टेक्नीशियन, द्वारा उपरोक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 3852/2011 दायर की गई थी जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.06.2011 को निर्णय पारित कर स्थानांतरण आदेश पर स्थगन दिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा दिनांक 14.05.2013 को प्रकरण में अंतिम निर्णय पारित किया गया। न्यायालय निर्णय में अंकित हैं कि – Respondents authorities are extended a liberty to consider the matter afresh for transfer of the petitioner from his existing place to some other place in administrative side, if the same is necessary. Respondents/State is further directed to consider the transfer of the petitioner keeping in view that the petitioner is 60% handicapped as stated in the petition.

श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, लेब टेक्नीशियन, द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में दोनो पैरो से 60 प्रतिशत विकलांगता के कारण ब्लड बैंक मुरार जिला ग्वालियर में दिनांक 30.06.2013 को लेब टेक्नीशियन के रिक्त हुए पर समायोजन किये जाने हेतु निवेदन किया गया ।

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.05.2013 के परिपालन में श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, लेब टेक्नीशियन के अभ्यावेदन पर विचारोपरांत संचालनालय आदेश क्र. 2/अवि. / सेल–टी.पी. / एफ–1 / 2011 / 448 एफ दिनांक 07.06.2011 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी के अधीन किया गया स्थानांतरण निरस्त कर तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक जिला चिकित्सालय मुरार (ब्लड बैंक) जिला ग्वालियर में पदस्थ किया जाता हैं।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक / 2 / अवि. / सेल–टी.पी. / 2013 / 843-I भोपाल दिनांक 28/09/2013

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर की और न्यायालय प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू. पी. 3852/2011 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर मध्यप्रदेश ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग म.प्र.।
4. अपर संचालक (एम.आई.एस.) स्थानीय कार्यालय।
5. उप संचालक (लीगल) स्थानीय कार्यालय की और न्यायालय प्रकरण क्र. डब्ल्यू.पी. 3852/2011 में पारित निर्णय दिनांक 14.05.2013 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर / शिवपुरी म.प्र.।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय ग्वालियर / शिवपुरी म.प्र.।
8. जिला कोषालय अधिकारी ग्वालियर / शिवपुरी मध्यप्रदेश।
9. श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, लेब टेक्नीशियन, की और पालनार्थ।
10. आदेश नस्ती।

28/9/13

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश